जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा–3/लालकोठी/डी– 415 दिनांक 23/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	दुकान संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सीजीएस–24	नेहरू पैलेस, टोंक रोड	रामअवतार गुप्ता पुत्र स्व. श्री नारायण लाल गुप्ता	श्री नारायण लाल गुप्ता पुत्र भोला नाथ गुप्ता	शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. **जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।**

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-424
24/5/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा. / जोन–6 / 22 / डी– 1530 दिनांक :– 23/5/22

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स.–506	तारा नगर–ए (म्युचुअल कॉ.हो.सो. लि.)	श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री राधेश्याम	श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री राधेश्याम अग्रवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं प्रस्तुत संजरा वंशावली के आधार पर।
2.	भू.स.–319बी	सैन कॉलोनी(सैन कॉलोनी भवन निर्माण सहकारी समिति)	श्री सुभाष चन्द ज्योतिषी पुत्र श्री गोकुल चन्द ज्योतिषी	श्री भवंर पुत्र श्री नन्दा	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
3.	भू.स.–106	प्रताप नगर विस्तार	श्रीमती राजकौर पत्नी श्री गुलजारी व्यास	श्री अनिल खण्डेलवाल पुत्र श्री हनुमान सहाय	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-425
24.5.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 961 दिनांकः 23/5/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरस्वती बर्मन पत्नी श्री नेपाल बर्मन द्वारा योजना मां वैष्णों नगर के भूखण्ड संख्या–सी–66 का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थीया द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना मां वैष्णों नगर के भूखण्ड संख्या–सी–66 का पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO / R-432
24/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–08/2022/डी– 1399 दिनांक 23/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दरतावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	110	वर्धमान सरोवर ए	अनन्त जैन पुत्र श्री नरेश चन्द जैन	गुणमाला पापडीवाल पत्नी श्री प्रकाश चन्द पापडीवाल	अनरजिस्टर्ड इकरारनामा

उपायुक्त, जोन–8

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–8

PRO/R-434 24/5/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी– 2452 — दिनांक 23/5/2022

–: आम सूचना :–

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत बाबा आर.एन.गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना न्यू चन्दलाई नगर का आवंटन / नियमन शिविर आयोजित किया जा रहा है। योजना ग्राम चन्दलाई, तह. चाकसू, जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण / आंशिक भाग पर योजना सृजित है।

क्र. सं.	ग्राम / तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम चन्दलाई, तह. चाकसू, जयपुर।	1778	0.68	1785	0.30	1786	0.09	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2		1787	0.09	1788	0.11	1789	0.16	
3		1790	0.17	1803	0.30	1804	1.26	
4		1809	0.09	1810	0.06	1820	0.22	
5		1821	0.22	1822	0.17	1823	0.13	
6		1824	0.03	1825	0.02	1826	0.16	
7		1827	0.18	1828	0.15	1829	0.18	
8		1830	0.10	1831	0.14	1832	0.12	
9		1833	0.14	1834	0.11	1835	0.15	
10		1836	0.14	1838 / 1	0.05	1839	0.06	
11		1840	0.06	1843	0.11	1844	0.05	
12		1845	0.08	1846	0.10	1847	0.10	
13		1848	0.12	1849	0.13	1850	0.11	
14		1851	0.11	1852	0.14	1853	0.17	
15		1854	0.04	1855	0.10	1856	0.12	
16		1851 / 6548	0.09	1850 / 6549	0.06	1847 / 6550	0.03	
17		1744 / 6699	0.08					
19		1747	0.02	1748	0.01	1744 / 6695	0.23	
20		1759 / 6551	0.04	1778 / 6628	0.07	1744 / 6696	0.15	

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची समिति द्वारा प्रस्तुत सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त न्यू चन्दलाई नगर योजना का नियमन कर शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से संबंधित अगर किसी खातेदार / हितधारक / भूखण्डधारी / व्यक्ति / संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात 7(सात) दिवस या कैम्प दिवस (जो भी कम हो) में, कार्यालय जोन–14, जविप्रा परिसर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त खसरों में स्थित भूमि में विकसित योजना के भूखण्डधारियों की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन / आवंटन / नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO/R-442 24/5/22

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

1-208
सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 1 से 208 तक संलग्न है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय)/2022/डी— 3017 दिनांकः— 20.5.2022

—ःसूचनाः—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू—आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण—द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह—खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सेवक राम (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. की योजना श्री राम विहार)	124	197.2'
2	श्रीमती अंशु कोठारी पत्नी श्री रिखब चन्द कोठारी (कीर्ति नगर कॉ.ओ.सो.लि. की योजना श्री गोपाल नगर)	197	225.80

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः—

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः— विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

PRO/R-435
24/5/22

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के नामहस्तान्तरण/लीजडीड आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवदकों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी कर दी जाएगी।

क्र.स.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	सी–50	मालवीय नगर जयपुर
2.	मैसर्स राधास्वामी प्रीमाईसेस	ए–62	मालवीय नगर जयपुर
3.	गुलाब चन्द मितल	ए–567	मालवीय नगर जयपुर
4.	मयंक मदान	ए–18	मालवीय नगर जयपुर

23/05/2022

उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

पीआरओ
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः–जविप्रा/अति.आ(प्रशा)/22/डी– 1500
दिनांकः– 23/5/22

PRO/R-436
24/5/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2022 / डी– 1476   दिनांकः– 20/5/2022

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–सी,50, मालवीय नगर जयपुर का आवंटन पत्र व पट्टा श्री भँवर लाल टिक्कीवाल पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश के नाम जारी किया गया था। श्री भँवर लाल टिक्कीवाल की मृत्यु दिनांक 01.10.2020 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र मे अंकित है। इनके द्वारा उक्त भूखण्ड की पंजिकत वसीयत अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार के पक्ष में की गई है अब श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र व गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड का हस्तांतरण व फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

20/5/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-437
21/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपायुक्त जोन–1 / 2022 / डी– 1497 दिनांकः– 23/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–ए–62 श्री मदनलाल मलहोत्रा पुत्र श्री हरीशचन्द्र मलहोत्रा को पट्टा जारी किया गया था। (1) श्री मदनलाल मलहोत्रा पुत्र श्री हरीशचन्द्र मलहोत्रा द्वारा रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटॉरनी श्री अजय कुमार पुत्र श्री यशपाल को की गई है। (2) श्री अजय कुमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अंजु रानी (उर्फ अन्जुप्रित) पुत्री श्री सतवीर सिंह को किया गया था। (3) अंजु रानी (उर्फ अन्जुप्रित) पुत्री श्री सतवीर सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री गिरीश लालवानी पुत्र श्री गोविन्द राम एवं श्री जय किशन लालवानी पुत्र स्व. श्री आशाराम लालवानी के द्वारा बैंक में ऋण लिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक शाखा रिकवरी ऑफिस डेबिट रिकवरी ट्रिबल केश नम्बर 169 / 2003 के तहत राधास्वामी प्रीमाईजेस प्रा.लि. को दिनांक 20.10.2005 बेचान पत्र जारी किया गया था। डीआरटी जयपुर अपील संख्या 49 / 2005 श्री गिरीश लालवानी वगैरह बनाम पंजाब नेशनल बैंक निर्णय दिनांक 19.06.2008 को उक्त अपील खारिज की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री गिरीश लालवानी के द्वारा डीआरएटी ने नई दिल्ली के समक्ष अपील नं. 299 / 2008 को प्रस्तुत की गई। जिसका निस्तारण दिनांक 09.03.2011 को श्री गिरीश लालवानी वगैरह के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राधास्वामी प्रीमाईजेस प्रा.लि. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 5303 / 2011 प्रस्तुत की गई। अन्य रिट संख्या 5491 / 2011 मदनलाल मलहोत्रा डेबिट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्लन बनाम अन्य पेटे आज का 6448 / 2011 पंजाब नेशनल बैंक डेबिट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्लन व अन्य के उक्त समस्त रिट याचिका निर्णय दिनांक 28.09.2021 को किया गया। श्री गिरीश लालवानी द्वारा सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 3 मुकदमा नं. 308 / 2014 श्री गिरीश लालवानी व अन्य पीएनबी व अन्य प्रस्तुत किया गया जो राजीनामा आधार पर दिनांक 18.09.2021 को निस्तारित कर दिया गया। अब राधास्वामी प्रीमाईजेस प्रा.लि. के द्वारा दिनांक 23.102017 को उपपंजीयक जयपुर नवम् के यहां रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से मैसर्स राधास्वामी प्रीमाईजेस प्रा.लि. को मैसर्स राधास्वामी प्रीमाईसेस एलएलपी लि. लाइबेटिस पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत समिति दायित्व की भागीदारी फर्म पंजीबद्ध कराया गया। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर मैसर्स राधास्वामी प्रीमाईसेस एलएलपी लिमिटेड के आधार पर नामहस्तान्तरण कराना चाहती है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO/R-438 24/5/22

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

23/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1499 दिनांकः–23/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–ए–567 श्री राजेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री गणपत सिंह को आवंटन जारी किया गया था। प्रार्थी श्री गुलाब चंद मितल पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल मितल के द्वारा फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह अवगत करवाया गया कि मूल वसीयतनामा कहीं गुम हो गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

23/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO R439 24/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

F/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1490 दिनांकः– 23/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–ए–18 श्री गंगाराम मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा को आवंटन जारी किया गया था। गंगाराम मीणा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र श्री पोखर दास पुत्र श्री गणेश दास को बैचान किया अब पोखर दास द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने पोत्र (पोता) श्री मयंक मदान को वसीयतनामा किया गया उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नाम हस्तांतरण/पट्टा जारी करवाना चाहता है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

23/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO R-439 24/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

I/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–14/2022/डी– 2457 दिनांक 24/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	E-118	200.00 व.ग.	कुमारी संगीता खीचीं पुत्री श्री के.डी. खीचीं	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-441
24.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/जोन–14/2022/डी–2456 दिनांक 24/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	187	184.02 व.मी.	श्री अक्षय भटनागर पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार भटनागर, निवासी 44/151, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।	निजी खातेदारी	दा रिंग एवेन्यू

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

PRO/R-440
24.5.22

Sd/-
उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा., जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696 Ext. 8380, Fax-0141-2574555, email : dc zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 23.5.2022

संख्या 1538

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **खोरामीणा गृ.नि.स.स** की योजना **हनुमान नगर–5th** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
मांचडा तहसील आमेर।	886	3.9500 हैक्ट.	चन्दालाल पुत्र काना हि. 1/10, छोटू पुत्र नारायण हि. 1/2 ,जयनारायण पुत्र काना हि. 1/10, पप्पूलाल पुत्र काना हि. 1/10, प्रभु पुत्र काना, हि. 1/10 भगवान सहाय पुत्र काना हि. 1/10 जाति मीणा सा.देह खातेदार
	886/1098	0.5100 हैक्ट.	चौथू पुत्र शिवबक्श हि. 1/2, नारायण पुत्र चन्दा हि. 1/2 जाति मीणा सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23.5.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-426
24.5.22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या......1535...... दिनांक........23/5/22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ.नि.स.स** की योजना **ममता नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नॉगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर।	478/1	0.0126 हैक्ट.	घासीरा पुत्र पन्ना हिस्सा 1/2, लालाराम पुत्र पन्ना जाति माली सा.देह खातेदार
	507	1.1002 हैक्ट.	
	508/1	0.5564 हैक्ट	

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.......23/5/22.......को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-427
24.5.22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन
जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 23/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-962 दिनांक 23/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **खोरामीणा गृ.नि.स.स.** की योजना **यज्ञदत्त नगर I** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर	322/4 323/4 322/5 323/5 322/6 323/6	0.0885 0.3415 0.0885 0.3541 0.0632 0.3667	कुल 5 बीघा 3 बिस्वा	रमेश शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा सन्तोष पुत्री नन्दकिशोर शर्मा जानकी देवी उर्फ ज्याना देवी पत्नी नन्दकिशोर शर्मा

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-428 23/5/22

(ह०)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-963 दिनांक 23/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **बाबा आर. गौड़ गृ.नि.स.स.** की योजना **विनायक विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम निवारू तहसील जयपुर	419	2.6557 है0	1 बीघा 03 बिस्वा अर्थात 0.2908 है.	कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल, गुलाबचन्द पुत्र नारायणलाल, नन्छी पत्नी सुवालाल, प्रभातीलाल पुत्र मांगीलाल, बाबूलाल पुत्र रामप्रताप, बाबूलाल पुत्र सुवालाल, बिरदीचन्द पुत्र सुवालाल, मंगलाराम पुत्र मांगीलाल, मोहन लाल पुत्र सुवालाल, लालचन्द पुत्र सुवालाल जाति ब्राह्मण, समुद्र पुत्र बिरदीचन्द जाति माली

PRO/R-529
24.5.22

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

(हस्ता.)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-965 दिनांक 23/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **दी शिवा गृ0नि0स0समिति** की योजना **हिम्मत विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर	423	4.08	रामप्यारी पुत्री हीरासिंह हिस्सा– 47/102
ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर	425	0.65	रामप्यारी पुत्री हीरासिंह हिस्सा– 2/13

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

(ह0)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-430
25.5.22

उपायुक्त जोन–7

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / जोन –7 / 2022 / डी– 952 दिनांक : 23.5.22

प्रस्तावित भू–उपयोग उपान्तरण

नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराज निकेतन के भूखण्ड़ संख्या 11 क्षेत्रफल 434.62 वर्गगज की आवासीय लीजडीड प्रार्थीया श्रीमती भगवती यादव पत्नी स्व. श्री के. एस. यादव के नाम दिनांक 08.03.2013 को जारी किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उप बिन्दु संख्या iv के क्रम में भू–उपयोग आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ प्रार्थी के पक्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड़ के जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड़ के पूर्व दिशा की ओर– 80 फीट रोड़ है, पश्चिमी दिशा की ओर– भूखण्ड सं. 23 है, उत्तर दिशा की ओर– 30 फीट रोड़ है तथा दक्षिण दिशा की ओर– भूखण्ड संख्या 21 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस आम सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 23.5.22 को जारी की गई।

PRO/R-431 24/5/22

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रस्तावित उपान्तरण का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्रीमती भगवती यादव पत्नी स्व. श्री के.एल. यादव निवासी– 11, शिवराज निकेतन, गोतम मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स– 0141–2569696 एक्सटेंशन : 8260, फैक्स +91–141–257455

e-mail: dczone07jaipurjda@gmail.com

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-964 दिनांक 23/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री गणपति गृ0नि0स0समिति** की योजना **बालाजी विहार–बी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर	266 500/605	13 बीघा 18 बिस्वा, 3 बीघा 12 बिस्वा	4 बीघा 18 बिस्वा 3 बीघा 12 बिस्वा	दुर्गाप्रसाद पुत्र भौरीलाल भूरी देवी पत्नी नन्दाराम

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

(ह0)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

PRO/R-433
24/5/22

उपायुक्त जोन–7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 980

दिनांकः– 24/5/2022

आम–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 08 योजना ए.के. 10 भारतेन्दु नगर का श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह जरिये मुख्त्यारआम श्री लवलेश मीणा द्वारा पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड़ का पट्टा आवेदक के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेंगा।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर